

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री जयपालसिंह व अन्य

विपक्षी श्री सरकार

कस्म मुकदमा धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या 22/2025

कार्यवाही विवरण

25-06-2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में उपभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा थरोडा पटवार हल्का थडा भू.अ.नि. सेरिया तहसील सलुम्बर में प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 351 आराजी नम्बर 2609/2372 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात एवं पडौसी खातेदार की आराजीयात पास-पास होने मौके पर सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदार में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खाता सं. 351 आराजी नम्बर 2609/2372 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र में वर्णित मौजा थरोडा पटवार हल्का थडा भू.अ.नि. सेरिया तहसील सलुम्बर की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 351 आराजी नम्बर 2609/2372 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार खातेदार है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

—आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा थरोडा पटवार हल्का थडा भू.अ.नि. सेरिया तहसील सलुम्बर की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 351 आराजी नम्बर 2609/2372 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ. नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर करे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(परमजीत आर.ए.एस.)

सहाय उपखण्ड अधिकारी

जिला सलुम्बर

